न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 35/2019

प्रविष्टि दिनांक 28.11.2019

सियाराम पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार देवली दिनांक 22.11.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री महावीर तोगडा, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 26.12.2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 22.11.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3076,3077 मे रकबा 0.98 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम चांदली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय मे अपीलांट को दिनांक 24.10.2019 व 11.11.2019 की तारीखो का नोटिस देने के बावजूद अपीलांट वहां अनुपस्थित होना बताकर एक तरफा मे अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस मे अपीलांट को किस दिनांक को चांदली मे उपस्थित होना था अंकित नही है। प्रकरण दिनांक 21.10.2019 को दर्ज हुआ है जबकि अपीलांट को नोटिस जारी हुआ उसमे दिनांक 06.09.2019 अंकित है। अपीलांट सियाराम के बजाय भागीरथ पुत्र रामलाल के बाबत पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करना अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 3075,3076 व

अपर जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

3077 पर अतिक्रमण की रिपोर्ट रकबा 1.39 है0 पर होना लिखा है,परन्तु निर्णय के अन्तिम भाग मे खसरा नम्बर 3076 व 3077 रकबा 0.98 है0 से बेदखल करने का उल्लेख है। नोटिस भागीरथ को देना तथा कब्जा सूरजमल द्वारा करना और बेदखल भागीरथ को कर कारावास की सजा व लगान राशि भागीरथ को देना बता रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा नही है। अतिक्रमण हटा देने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी है।अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है,परन्तु नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नही हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3077,3076 व 3075 मे रकबा 1.39 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम चांदली तहसील देवली पर कांटो की बाड लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 469/2019 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 21.10.2019 को दर्ज किया है और अपीलांट ने अपील मीमो के साथ संलग्न नोटिस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2019 को नोटिस जारी करना अंकित है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 22.11.2019 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 22.11.2019 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार देवली को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई/साक्ष्य–सबूत पेश करने का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलक्टर, टोंक
टोंक

874

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:10:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: